झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

एल0पी0ए0 संख्या 449 वर्ष 2018

1. राजेंद्र प्रसाद वर्मा, उम्र लगभग 43 वर्ष, पे0–स्वर्गीय संतोषी महतो, निवासी ग्राम–कोडिया, डाकघर–द्वारपहाड़ी, थाना–गिरिडीह (मुफस्सिल), जिला–गिरिडीह, पिन–815316, झारखण्ड।
2. अशोक वर्मा, उम्र लगभग 34 वर्ष, पे0–युगल किशोर वर्मा, निवासी ग्राम–कोवाड, डाकघर–सेंडो, थाना–गिरिडीह (मुफस्सिल), जिला–गिरिडीह, पिन–815316, झारखण्ड।
3. मोहन पंडित, उम्र लगभग 42 वर्ष, पे0–भाटू पंडित, निवासी ग्राम एवं डाकघर–बेरिया, थाना–देवरी, जिला–गिरिडीह, झारखण्ड।
4. बिनोद प्रसाद वर्मा, उम्र लगभग 34 वर्ष, पे0–श्री धनेश्वर महतो, निवासी ग्राम–उन्ड्रो, डाकघर–हन्डाडीह, थाना–गिरिडीह (मुफस्सिल), जिला–गिरिडीह, झारखण्ड।

.... अपीलार्थीगण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–राँची, झारखण्ड।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा (शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड का कार्मिक, राजभाषा एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, नेपाल हाऊस, डाकघर एवं थाना–डोरण्डा, राँची।
4. जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद, मिश्रित भवन (तहखाना), डाकघर एवं थाना–धनबाद, जिला–धनबाद–826001
5. जिला शिक्षा अधीक्षक, साहिबगंज, डाकघर, थाना एवं जिला–साहिबगंज, झारखण्ड।
6. जिला शिक्षा अधीक्षक, दुमका, डाकघर, थाना एवं जिला–दुमका, झारखण्ड।

7. जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह, डाकघर, थाना एवं जिला–गिरिडीह, झारखण्ड।

8. जिला शिक्षा अधीक्षक, बोकारो, डाकघर, थाना एवं जिला–बोकारो।

.... उत्तरदातागण

उपस्थित : माननीय मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री बी0बी0 मंगलमूर्ति

अपीलार्थीगण के लिए : श्री मुकेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता।

: श्री पंकज कुमार स्नेह, अधिवक्ता।

उत्तरदातागण के लिए : श्रीमती चंद्र प्रभा, एस0सी0–IV

आदेश सं0 04 : दिनांक 1 अक्तूबर, 2018

आई0ए0 सं0 8403 वर्ष 2018

यह अंतर्वर्ती आवेदन अपील दायर करने में 169 दिनों की देरी को माफ करने के लिए है।

हम विलंब की माफी के लिए आवेदन का अवलोकन किया है और पाते हैं कि पर्याप्त कारण था जिसके कारण अपील निर्धारित समय के भीतर दायर नहीं किया गया था।

हम, तद्नुसार, अपील दाखिल करने में 169 दिनों की देरी को माफ करते हैं।

आई0ए0 सं0 8403 वर्ष 2018 को निस्तारित किया जाता है।

एल0पी0ए0 सं0 449 वर्ष 2018

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. सामान्य श्रेणी के माध्यम से सहायक अध्यापकों के पदों के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान किये जाने का अपीलार्थीगण का निवेदन विद्वान प्रथम न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलार्थीगण पारा शिक्षक थे। इस न्यायालय के एक पीठ ने विजय कुमार प्रजापति एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य (एल0पी0ए0 सं0 290 वर्ष 2018) के मामले में 14 अगस्त, 2018 को दिये गए निर्णय में मुद्दा को इस मामले की समान स्थिति में आवेदक पारा शिक्षक के पक्ष में पाया था। हमनें राज्य के विद्वान अधिवक्ता से पूछताछ की थी कि क्या पूर्वोक्त पीठ के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी या नहीं और उन्होनें नकारात्मक में जवाब दिया। राज्य के विद्वान अधिवक्ता इस अपील में अंतर्ग्रस्त कोई विशिष्ट विशेषता को हमारे संज्ञान में नहीं ला सके, जो हमें एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए प्रेरित कर सकता हो। ऐसी परिस्थितियों में, इस अपील में उठाए गए बिंदु पूरी तरह अपीलकर्त्ताओं के पक्ष में पीठ के फैसले द्वारा आच्छादित है।

3. अपीलकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष यह भी निवेदन किया है कि उनके मुवक्किलों के आवेदन सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार किए गए थे और उनके मुवक्किलों ने ''पारा शिक्षकों'' की श्रेणी के लिए विशेष रूप से संरक्षित कोई लाभ प्राप्त नहीं किया था।

4. हम, तद्नुसार, विद्वान प्रथम न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हैं जो अपीलाधीन है, और प्रत्यर्थी राज्य को निर्देश देते हैं कि वह अपीलार्थीगण का काउंसलिंग यथासंभव यथाशीघ्र शुरू करें ताकि इसे आज से चार महीने के अवधि के भीतर पूरा किया जा सके।

5. अपीलार्थीगण किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित जिले के उपायुक्त से संपर्क करेंगे या उनके समक्ष उपस्थित रहेंगे जो आज से 12 सप्ताह के बाद नहीं होगा तथा यदि वे संबंधित जिले के उपायुक्त से संपर्क करते हैं तो हमारे द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर काउंसलिंग पूरा किया जाएगा।

6. व्ययों को लेकर कोई आदेश दिए बिना अपील को उपरोक्त शर्तों में अनुज्ञात की जाती है।

ह0

(अनिरूद्ध बोस, मु0 न्याया0)

ह0

(बी0बी0 मंगलमूर्ति, न्याया0)